

अज्ञ अदालत- उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा मुकाम- भीलवाडा जिला भीलवाडा

उनवान

डुगा लाल

बनाम

लालू

किंसा मुकदमा 53, 54

वादेपत्र / प्रा0प0

मु0न0

121/2024

तारीख पेशी	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

2/6/24

बाद जांच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 24/7/24 को पेश हो।

*[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

24/7/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली सादिक आदेश दिनांक 24/12/24 को पेश हो।

*[Signature]*

21/10/24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं करे। पीठासीन अधिकारी के समक्ष बाक तलवा उल्लेख नही हो। वादी अधिवक्ता उरुवादी के रजिस्टर्ड ससबे A2 पेश करे। उपखण्ड फि0 24/1/2025 को पेश हो।

*[Signature]*

21-10-25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं करे।

विपक्षी गण की तलवा हेतु उपखण्ड फिनाइल 07-03-25 को पेश हो।

*[Signature]*

07/24

पत्रावली पेश हुई। अज्ञ स्थानीय बार एसोसियेशन का एग्रीजेंट एग्रीजेंट है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली सादिक आदेश दिनांक 17.04.24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

27/4/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश  
दिनांक 23/7/25 को पेश हो।

आदेश से रीडर

23/5/25 पत्रावली पिठा डर्री वाली काठिवरता व्याप्त  
पत्रावली (निनीकरण की तृतीया हेतु रिमांड  
13/6/25 को पेश हो

13/6/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार  
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ  
है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य  
में व्यस्त है। पत्रावली साविक आदेश  
दिनांक 16/7/25 को पेश हो।

आदेश से रीडर

16/7/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश  
दिनांक 23/7/25 को पेश हो।

आदेश से रीडर

23-08-25 पत्रावली पेश हुई। वाली अधिवक्ता  
उपस्थित नहीं। पुरख तलवी हेतु  
रिमांड 25-08-25 को पेश हो

25-08-25 पत्रावली पेश हुई। वाली अधिवक्ता  
उपस्थित नहीं। वाली उपस्थित नहीं।  
वाली व वाली अधिवक्ता से तीन  
कार आवास लगायी गयी। परन्तु उपर नहीं।  
अतः वाली का फाट पर अन्तर्गत धारा  
53 RTA वाली ही अहम हाजरी  
व वाली अधिवक्ता ही अहम फंडी  
से स्फारिस दिया जाता है। पुरख फंड  
पुरख होतुर नम्बर से पुरखो

उपस्थित अधिकारी  
आदेश से